न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

सि0प्र0 – 357/2024

अनवान : –

1. कनीज फातमा पत्नी इसरारूल कादरी जाति मुसलमान निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तह0 व जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. शमों बी पत्नी सादिक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मुड़िया तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. करमा बी पत्नी वनज अली जाति मुसलमान निवासी मुड़िया तह0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।
3. जैनब पत्नी रमजान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मुड़िया तह0 टिब्बी व जिला हनुमानगढ़।
4. गुलाम मोहम्मद पुत्र वनज अली जाति मुसलमान निवासी मुड़िया तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. हुसैन मोहम्मद पुत्र वनज अली जाति मुसलमान निवासी मुड़िया तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

श्री हीतेन्द्र मोहन अधिवक्ता वादी
श्री रियासत अली अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 31/7/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है यह कि वादीया व प्रतिवादी सं0 3 ता 5 के नाना व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 का पिता दरीश पुत्र बरकत के नाम से चकनं0 4 ए. जी. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 10/9 में कुल 4.6560 है0 में से 29 /1746 हिस्सा तथा चक नं० 2 एजी के खाता सं0 33/15 में कुल 22.9730 है० कमाण्ड मय गै०मु० आराजी में दरीष पुत्र बरकत का 1/60 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया व प्रतिवादी सं0 3 ता 5 के नाना व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का पिता दरीश पुत्र बरकत व उनकी पत्नी अनो पत्नी बरकत फौत हो चुके है जिनके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड पर है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बटवारा हो गया है व बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीया के पक्ष में त्याग कर दिया है व कोई हिस्सा नही लेना चाहते है। बटवारां में चक नं० 2 एजी के खाता सं0 35/15 में दर्ज कुल 22.9730 है0 में दरीश पुत्र बरकत के 1/60 हिस्सा अर्थात 0.382 है0 में से 0.230 है० भूमि वादीया को तथा शेष 0.152 है0 भूमि प्रतिवादीया सं0 1 को व चक नं0 4 ए. जी. के खाता सं0 10 / 9 में दर्ज कुल 4.6560 है० मे से दरीश पुत्र बरकत के 29 / 1746 की आराजी प्रतिवादीया सं0 1 को प्राप्त हुई है जिस पर वादीया व प्रतिवादीया सं० 1 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादीया अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहती है। इसलिए वादीया घोषणा इस आशय की प्राप्त करने की अधिकारी व दावेदार है कि वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार वादीया अपनी आराजी की खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं० 2 एजी के खाता सं0 35 / 15 मे से दरीष पुत्र बरकत का नाम व चक 4 एजी के खाता सं0 10 / 9 मे से दरीश पुत्र बरकत का नाम कलमजन करवाने की अधिकारी व दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 4 अनुसार आराजी वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व आज से तीन रोज पूर्व ग्राम मुड़िया में कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है । घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 मे

Scanned with CamScanner

दर्ज बटवारा के अनुसार वादीया अपनी आराजी की खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 2 एजी के खाता सं० 35 / 15 मे से दरीश पुत्र बरकत का नाम व चक 4 एजी के खाता सं० 10/9 मे से दरीश पुत्र बरकत का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 4 स्वीकार है। वादीया व हम प्रतिवादी सं० 3 ता 5 के नाना व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 का पिता दरीश पुत्र बरकत व उनकी पत्नी अनो पत्नी बरकत फौत हो चुके है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीया व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बटवारा हो गया है व बटवारा में हम प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 मे अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीया के पक्ष में त्याग कर दिया है व कोई हिस्सा नही लेना चाहते है । बटवारा में चक सं० 2 एजी के खाता सं० 35 / 15 में दर्ज कुल 22.9730 है० में दरीश पुत्र बरकत के 1/60 हिस्सा अर्थात 0.382 है० में से 0.230 है० भूमि वादीया को तथा शेष 0. 152 है० भूमि प्रतिवादीया सं० 1 को व चक नं० 4 ए. जी. के खाता सं० 10/9 में दर्ज कुल 4.6560 है० मे से दरीश पुत्र बरकत के 29 /1746 की आराजी प्रतिवादीया सं० 1 को प्राप्त हुई है जिस पर वादीया व प्रतिवादीया सं० 1 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वाद पत्र की दफा 5 स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारा के अनुसार आराजी वादीया व प्रतिवादीया सं० 1 अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है इसलिए वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारा के अनुसार आराजी वादीया व प्रतिवादीया सं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चिक नं० 2 एजी के खाता सं० 35 /15 मे से दरीश पुत्र बरकत का नाम व चक 4 एजी के खाता सं० 10 /9 में से दरीश पुत्र बरकत का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है व हम प्रतिवादीगण राजीनामा से पूर्णतया सहमत है

साक्ष्य वादी मे वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी , सदस्य प्रमाण पत्र आदि प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में मुताबिक जवाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत जमाबंदी से वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा को वादीया व प्रतिवादीया सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्तविवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि चक 2 एजी के खाता सं० 35/15 की कुल 22.9730है० में दरीश पुत्र बरकत के नाम दर्ज 1/60 हिस्सा अर्थात् 0.382 है० में वादीया को 0.230है० एवं प्रतिवादीया सं० 1 को 0.152है० की खातेदार काश्तकार एवं इसी प्रकार चक 4 एजी के खाता सं० 10/9 की कुल 4.6560है० में दरीश पुत्र बरकत के नाम दर्ज 29/1746 हिस्सा की प्रतिवादीया सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 2 एजी के खाता सं० 35/15 व चक 4 एजी के खाता सं० 10/9 से दरीश पुत्र बरकत का नाम कलमजन किया जावें।यदि कृषि भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त करें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/7/23 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner